

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(माध्यमिक),
उ०प्र०,लखनऊ।

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: शिविर/7562-7676

/2024-25

दिनांक 07 जून, 2024

विषय: विद्याधन द्वारा प्रदान की जाने वाली अखिल भारतीय उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किये जाने
विषयक।

महोदय,

कृपया, अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 03 जून, 2024 को
व्हाट्सएप पर प्रसारित संदेश का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विद्याधन द्वारा प्रदान की जाने
वाली अखिल भारतीय उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति हेतु विज्ञापन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया
गया है।

2- अवगत कराना है कि विद्याधन एक अखिल भारतीय उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति है, जो कुमारी शिबूलाल और
श्री एस डी शिबूलाल (सह-संस्थापक और पूर्व सीईओ इंफोसिस) द्वारा स्थापित सरोजिनी दामोदरन फाउंडेशन
द्वारा प्रदान की जाती है। विद्याधन ने 1999 में अपनी स्थापना के बाद से 33200 से अधिक छात्रवृत्तियां वितरित
की हैं। वर्तमान में, इस छात्रवृत्ति योजना में केरल, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना,
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, पंजाब, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड और पश्चिम
बंगाल में 8000 से अधिक लाभार्थी हैं।

3- उक्त छात्रवृत्ति आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के मेधावी छात्रों के लिये है। चयनित छात्र इण्टरमीडिएट
में प्रति वर्ष 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति राशि के पात्र होंगे, यदि वे अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखते हैं, तो उन्हें
उनकी रुचि के किसी भी डिग्री कोर्स को करने के लिये प्रति वर्ष 15,000 रुपये से 75,000 रुपये के बीच
छात्रवृत्ति दी जायेगी।

4- प्रश्नगत छात्रवृत्ति में वर्ष 2024 में आवेदन किये जाने हेतु आवश्यक सूचना, पात्रता मापदण्ड व
आवश्यक अभिलेख निम्नवत हैं:-

1) छात्र सीधे वेबसाइट (www.vidyadhan.org) पर निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं।

2) आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2024 है।

3) छात्रवृत्ति आवेदन हेतु पात्रता मापदण्ड-

(क) परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम।

(ख) जिन छात्रों ने 2024 में 10वीं परीक्षा 80 प्रतिशत से अधिक या 8 सीजीपीए अंकों (दिव्यांग
विद्यार्थियों के लिए 65 प्रतिशत या 6.5 सीजीपीए) से उत्तीर्ण की है।

4) छात्रवृत्ति आवेदन हेतु फोटो, कक्षा 10 की अंकपत्र एवं आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

5) अधिक जानकारी के लिये ई-मेल (vidyadhan.up@sdfoundationindia.com) एवं हेल्पडेस्क
नं०-9663517131 एवं व्हाट्सएप नं०-8296010803 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विद्याधन द्वारा प्रदान की जाने वाली अखिल भारतीय उच्च
शिक्षा छात्रवृत्ति के लिये पात्र विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन हेतु अपने जनपद के नियंत्रणाधीन विद्यालयों के
प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों को आज ही आवश्यक निर्देश निर्गत करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

डॉ०(महिन्द्र देव)

शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

- प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को महोदय के संज्ञानार्थ।
 - 2) विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3, लखनऊ।
 - 3) महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
 - 4) मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक(मा०), समस्त मण्डल, उ०प्र०।

डॉ०(महेन्द्र देव)
शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(माध्यमिक),
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: शिविर/

/2024-25

दिनांक 07 जून, 2024

विषय: विद्याधन द्वारा प्रदान की जाने वाली अखिल भारतीय उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किये जाने
विषयक।

महोदय,

कृपया, अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 03 जून, 2024 को व्हाट्सएप पर प्रसारित संदेश का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विद्याधन द्वारा प्रदान की जाने वाली अखिल भारतीय उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति हेतु विज्ञापन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

2- अवगत कराना है कि विद्याधन एक अखिल भारतीय उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति है, जो कुमारी शिबूलाल और श्री एस डी शिबूलाल (सह-संस्थापक और पूर्व सीईओ इंफोसिस) द्वारा स्थापित सरोजिनी दामोदरन फाउंडेशन द्वारा प्रदान की जाती है। विद्याधन ने 1999 में अपनी स्थापना के बाद से 33200 से अधिक छात्रवृत्तियां वितरित की हैं। वर्तमान में, इस छात्रवृत्ति योजना में केरल, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, पंजाब, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल में 8000 से अधिक लाभार्थी हैं।

3- उक्त छात्रवृत्ति आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के मेधावी छात्रों के लिये है। चयनित छात्र इण्टरमीडिएट में प्रति वर्ष 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति राशि के पात्र होंगे, यदि वे अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखते हैं, तो उन्हें उनकी रुचि के किसी भी डिग्री कोर्स को करने के लिये प्रति वर्ष 15,000 रुपये से 75,000 रुपये के बीच छात्रवृत्ति दी जायेगी।

4- प्रश्नगत छात्रवृत्ति में वर्ष 2024 में आवेदन किये जाने हेतु आवश्यक सूचना, पात्रता मापदण्ड व आवश्यक अभिलेख निम्नवत हैं:-

1) छात्र सीधे वेबसाइट (www.vidyadhan.org) पर निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं।

2) आवेदन की अंतिम तिथि-15 जुलाई, 2024 है।

3) छात्रवृत्ति आवेदन हेतु पात्रता मापदण्ड-

(क) परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम।

(ख) जिन छात्रों ने 2024 में 10वीं परीक्षा 80 प्रतिशत से अधिक या 8 सीजीपीए अंकों (दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 65 प्रतिशत या 6.5 सीजीपीए) से उत्तीर्ण की है।

4) छात्रवृत्ति आवेदन हेतु फोटो, कक्षा 10 की अंकपत्र एवं आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

5) अधिक जानकारी के लिये ई-मेल (vidyadhan.up@sdfoundationindia.com) एवं हेल्पडेस्क नं०-9663517131 एवं व्हाट्सएप नं०-8296010803 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विद्याधन द्वारा प्रदान की जाने वाली अखिल भारतीय उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के लिये पात्र विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन हेतु अपने जनपद के नियंत्रणाधीन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों को आज ही आवश्यक निर्देश निर्गत करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

डॉ०(महेन्द्र देव)

शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को महोदय के संज्ञानार्थ।
- 2) विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3, लखनऊ।
- 3) महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
- 4) मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक(मा०), समस्त मण्डल, उ०प्र०।

डॉ०(महेन्द्र देव)
शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।